## नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2024

- सा.का.िन. 22.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायिनक हथियार समझौता, मंत्रिमंडल सिचवालय (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2004 को, जहाँ तक उनका संबंध संयुक्त निदेशक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायिनक हथियार समझौता, मंत्रिमंडल सिचवालय में संयुक्त निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु-:
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता, मंत्रिमंडल सचिवालय, संयुक्त निदेशक भर्ती नियम, 2024 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता वह व्यक्ति
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है : या
  - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पदका नाम।      | पद की संख्या।     | वर्गीकरण ।          | वेतन मैट्रिक्स में<br>स्तर । | चयन पद<br>अथवा | सीधे भर्ती किए<br>जाने वाले व्यक्तियों |
|----------------|-------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--|
|                |                   |                     | 707 1                        | अचयन पद        | के लिए आयु-सीमा                        |
|                |                   |                     |                              | 1              | 1                                      |
| (1)            | (2)               | (3)                 | (4)                          | (5)            | (6)                                    |
| संयुक्त निदेशक | 01* (2024)        | साधारण केन्द्रीय    | स्तर – 12                    | लागू नहीं      | लागू नहीं होता ।                       |
|                | *कार्यभार के आधार | सेवा, अननुसचिवीय,   | (78800 -                     | होता ।         |  |
|                | पर परिवर्तन किया  | राजपत्रित, समूह 'क' | 209200 ₹.)                   |                |  |
|                | जा सकता है ।      |                     |                              |                |  |
|                |                   |                     |                              |                |  |

| सीधे भर्ती किए जाने    | सीधे भर्ती किए जाने वाले       | परिवीक्षा की अवधि, | भर्ती की पध्दति, भर्ती सीधे होगी या     |
|------------------------|--------------------------------|--------------------|---|
| वाले व्यक्तियों के लिए | व्यक्तियों के लिए विहित        | यदि कोई हो ।       | प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन |
| अपेक्षित शैक्षिक और    | आयु और शैक्षिक अर्हताएं,       |                    | द्वारा तथा विभिन्न पध्दतियों द्वारा     |
| अन्य अर्हताएं ।        | प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में |                    | भरी जाने वाली रिक्तियों की              |
|                        | लागू होंगी या नहीं ।           |                    | प्रतिशतता ।                             |
| (7)                    | (8)                            | (9)                | (10)                                    |
| लागू नहीं होता ।       | लागू नहीं होता ।               | लागू नहीं होता ।   | प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक         |
|                        |                                |                    | संविदा सहित)                            |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे | यदि विभागीय            | भर्ती करने में किन परिस्थितियों |
|---|------------------------|---------------------------------|
| श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा | प्रोन्नति समिति है, तो | में संघ लोक सेवा आयोग से        |
| 1   | उसकी संरचना            | परामर्श किया जाएगा ।            |
| (11)  | (12)                   | (13)                            |
| प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):                      | लागू नहीं होता ।       | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श    |
| केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या       |                        | करना आवश्यक नहीं है।            |
| स्वायत्त संगठन या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम      |                        |                                 |
| या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे   |                        |                                 |
| अधिकारी:-   |                        |                                 |
| (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर             |                        |                                 |
| सदृश पद धारण किए हुए हैं; या                                |                        |                                 |
| (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के      |                        |                                 |
| स्तर-11 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के           |                        |                                 |
| पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और           |                        |                                 |
| (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव          |                        |                                 |
| हो:-  |                        |                                 |
| (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से         |                        |                                 |
| रसायन विज्ञान या औद्योगिक रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री   |                        |                                 |
| या रासायनिक प्रौद्योगिकी या रासायनिक इंजीनियरी में          |                        |                                 |
| डिग्री।   |                        |                                 |
| (ii) किसी ऐसे तकनीकी या अनुसंधान संगठन या                   |                        |                                 |
| औद्योगिक समुत्थान में, जो कार्बनिक रसायनो और कार्बनिक       |                        |                                 |
| रसायन उद्योग के क्षेत्र में लगा हुआ है, प्रबंधकीय तकनीकी पद |                        |                                 |
| पर दस वर्ष का अनुभव।  |                        |                                 |
| टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की          |                        |                                 |
| अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य     |                        |                                 |
| संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी       |                        |                                 |
| अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा       |                        |                                 |
| सहित) की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं            |                        |                                 |
| होगी।   |                        |                                 |
| टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा      |                        |                                 |
| नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की       |                        |                                 |
| अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।                |                        |                                 |

[फा. सं. ए-12018/1/2017- एन ए] इंद्रा मालो, संयुक्त सचिव

## New Delhi, the 20th February, 2024

- **G.S.R. 22.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Authority Chemical Weapons Convention, Cabinet Secretariat (Group 'A' and 'B' Posts) Recruitment Rules, 2004, in so far as they relate to the post of Joint Director, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Director in the National Authority Chemical Weapons Convention, Cabinet Secretariat, namely: -
- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the National Authority Chemical Weapons Convention, Cabinet Secretariat, Joint Director, Recruitment Rules, 2024.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in pay matrix. The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualifications.- No person,-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## **SCHEDULE**

| Name of the post.              | Number of post.  | Classification.  | Level in pay matrix.                | Whether selection post or non-selection post.   |
|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---|
| (1)                            | (2)  | (3)  | (4)                                 | (5)   |
| Joint Director.                | *01 (2024)  *Subject to variation dependent on workload.           | General Central Service, Non-ministerial, Gazetted, Group 'A'.   | Level – 12<br>(Rs. 78800 - 209200). | Not applicable.   |
| Age-limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of<br>probation,<br>if any.  | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods. |
| (6)                            | (7)  | (8)  | (9)                                 | (10)  |
| Not applicable.                | Not applicable.  | Not applicable.  | Not applicable.                     | By deputation (including short-term contract).  |

| In case of recruitment by promotion or deputation/<br>absorption grades from which promotion or deputation/<br>absorption to be made.  | If Departmental<br>Promotion Committee<br>exists, what is its<br>composition. | Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|--|---|--|
| (11)   | (12)  | (13)   |
| Deputation (including short-term contract):  | Not applicable.   | Consultation with Union  |
| Officers of Central Government or State Government or Union territories or autonomous organisation or statutory organisation or public sector undertakings or university or recognised research institution: -   |   | Public Service Commission is not necessary.  |
| (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or  |   |  |
| (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-11 of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department, and  |   |  |
| <b>(b)</b> possessing the following educational qualification and experience:  |   |  |
| (i) Master's degree in Chemistry or Industrial Chemistry or<br>degree in Chemical Technology or Chemical Engineering<br>from a recognised university or institute.   |   |  |
| (ii) Ten years' experience in a managerial technical position<br>in a technical or research organization or industrial<br>concern engaged in the field of organic chemicals and<br>organic chemical industry.  |   |  |
| Note 1 Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. |   |  |
| <b>Note 2</b> The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of the applications.  |   |  |

[F. No. A-12018/1/2017-NA] INDRA MALLO, Jt. Secy.